

दिशा निर्देश
(सत्र 2026-27)

PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/UCEEO (शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र) पर एसएमसी सदस्यों के लिए आयोजित किये जाने वाले दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण

प्रस्तावना :-

राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के गठन का प्रावधान किया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा में सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता/अभिभावक, प्रत्येक अध्यापक, कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक जनप्रतिनिधि सदस्य हैं। समिति के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए साधारण सभा की समिति के सदस्यों की संख्या बच्चों के नामांकन के आधार पर निर्धारित की जा सकती है:-

नामांकन सीमा	सदस्यों की अनुमानित संख्या
अधिकतम 100 विद्यार्थी	12-15 सदस्य
100 - 500 विद्यार्थी	15-20 सदस्य
500 से अधिक विद्यार्थी	20-25 सदस्य

इन गठित समितियों के सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनमें क्षमता विकास करना आवश्यक है ताकि वे विद्यालय प्रबंधन में अपनी अपेक्षित भूमिका का निर्वहन कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों के संकुल सन्दर्भ केन्द्रों पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के Task No. 198 अनुसार Social Issue and Stigmas पर प्रधानाचार्य, परामर्शदाता और विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाये जिससे मुख्य धारा से अलग-थलग एवं वंचित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, इसी उद्देश्य हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2026-27 संकुल सन्दर्भ केन्द्र (CRC) PEEO (ग्रामीण क्षेत्र)/UCEEO (शहरी क्षेत्र) पर एसएमसी सदस्यों को दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्यों में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों

हस्ताक्षर
18.08.26

को उनके दायित्वों, शिक्षा के अधिकार एक्ट के प्रावधानों, समग्र शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों, मिड-डे-मील, बाल अधिकारों, बालसभा, हरित पाठशाला कार्यक्रम, अक्षय पेटिका, समावेशी शिक्षा (विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिका), वैकल्पिक शिक्षा व औपचारिक शिक्षा (ड्राप आउट बालक-बालिका), स्वैच्छिक अनुदान, "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम, विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छ भारत मिशन, विद्यालय स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र, विद्यालय में संधारित लेखों का सामाजिक अंकेक्षण, आपदा प्रबंधन आदि के बारे में जानकारी देना, विद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना विकसित करना, विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, जैण्डर से सम्बन्धित विषयों पर संवेदनशील माहौल तैयार करना, विद्यालय स्तर पर योजना निर्माण एवं क्रियान्विति करना एवं विद्यालय विकास में जनसाधारण की सहभागिता प्राप्त करना आदि सम्मिलित हैं। कार्यकारिणी समिति के ऐसे सदस्य जिन्होंने वर्ष 2025-26 तथा इससे पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है को प्राथमिकता देते हुए एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के 5 सदस्यों तथा एक जनप्रतिनिधि को शामिल करते हुए प्रत्येक एसएमसी में से चयनित 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है।

- वर्ष 2026-27 में विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं:-

क्र. स.	गतिविधि	यूनिट कॉस्ट (प्रति व्यक्ति प्रति दिवस)	(राशि लाख में) लक्ष्य 2026-27	
			भौतिक	वित्तीय
1	PEEO/UCEEO पर दो दिवसीय एसएमसी गैर आवासीय प्रशिक्षण प्रारंभिक विद्यालय-संभागी × दिन × दर प्रतिदिन $301206 \times 2 \times 250 = 1506.030$ लाख रुपये	0.00250	301206	1506.030
2	PEEO/UCEEO पर दो दिवसीय एसएमसी गैर आवासीय प्रशिक्षण माध्यमिक विद्यालय-संभागी × दिन × दर प्रतिदिन $115116 \times 2 \times 250 = 575.580$ लाख रुपये	0.00250	115116	575.580
कुल		0.00250	0	2081.61

- प्रशिक्षण मॉड्यूल :** विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को राज्य स्तर पर तैयार किये गये "विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल" के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना है।

3. राज्य स्तर पर मुख्य संदर्भ व्यक्तियों (केआरपी) के प्रशिक्षण :

प्रत्येक जिले से 5 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों (केआरपी) को राज्य स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिन जिलों में दस से अधिक ब्लॉक हैं वहां से 6 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। मुख्य संदर्भ व्यक्तियों के रूप में, पूर्व के वर्षों में मुख्य संदर्भ व्यक्ति का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षक, डाइट फैकल्टी, ब्लॉक आरपी या प्रशिक्षण

(हस्ताक्षर)

में दक्षता रखने वाले जिले के शिक्षा अधिकारी/शिक्षक आदि में से नामित किया जा सकता है। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण कार्य में रुचि रखने वाले सक्षम एवं दक्ष प्रशिक्षकों को चयनित कर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भिजवाया जाना है। प्रशिक्षित मुख्य संदर्भ व्यक्तियों द्वारा ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण के लिए आने वाले मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को नियमानुसार टीए/डीए अपने जिले के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय के MMMER मद से देय होगा।

4. जिला स्तर पर समीक्षा बैठक :

ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण से पूर्व जिला स्तर पर एक समीक्षा बैठक आयोजित कर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले समस्त गतिविधियों के दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी जाये ताकि ब्लॉक स्तर पर एवं PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/UCEEO (शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र) पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण में वे अपना सकारात्मक एवं प्रभावी योगदान दे सकें। समीक्षा बैठक में ब्लॉक स्तर पर आयोजित किये जाने वाले संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण की कार्ययोजना भी निम्न प्रपत्र में तैयार करें इसमें राज्य स्तर से प्रशिक्षित मुख्य संदर्भ व्यक्ति को भी आमंत्रित किया जाये। कार्ययोजना की एक प्रति ब्लॉक कार्यालय को दी जाये तथा एक प्रति परिषद कार्यालय को भी प्रेषित की जाये। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के पश्चात् 10 दिनों के अन्दर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाये। ब्लॉक कार्यालय द्वारा संदर्भ व्यक्तियों/ PEEO/UCEEO को प्रशिक्षण के दिनांक की सूचना समय पर दी जाये।

5. ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण :

राज्य स्तर पर केआरपी प्रशिक्षण उपरान्त PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/UCEEO (शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र) पर एसएमसी सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जायेगा। संदर्भ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण कार्य में रुचि, अनुभव एवं दक्षता रखने वाले ब्लॉक के प्रति पीईईओ एक/20 न्यूनतम दक्ष प्रशिक्षक को सम्मिलित किया जायेगा। प्रशिक्षण के उपरान्त प्रत्येक ब्लॉक कार्यालय द्वारा इन चिन्हित संदर्भ व्यक्तियों की सूची अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करवाई जानी है। जिला कार्यालय ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिन्हित सूची में से PEEO/UCEEO प्रभारी प्रशिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार संदर्भ व्यक्ति लगाये।

ब्लॉक स्तरीय दक्ष प्रशिक्षक प्रशिक्षण के पश्चात् सीबीईओ प्रत्येक दक्ष प्रशिक्षक को दिनांक वार व पीईईओ वार समय सारणी उपलब्ध करवाकर एसएमसी दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण निर्देशित किया जाये। यह प्रशिक्षण पीईईओ स्तर पर ही आयोजित किया जाए।

नोडल संस्था प्रधानों/संदर्भ व्यक्तियों के लिए ब्लॉक स्तर पर आयोज्य प्रशिक्षण का व्यय प्रशिक्षण शाखा द्वारा जारी निर्देशानुसार किया जाए। यह व्यय विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति सदस्यों के PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/UCEEO (शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र) पर आयोज्य दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2026-27 में निर्धारित बजट

(हस्ताक्षर)

में से किया जायेगा। संकुल संदर्भ स्तरीय प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए अलग से बजट प्रावधान नहीं है।

अतः प्रति व्यक्ति कुल दो दिवस हेतु 500/- रुपये यूनिट कॉस्ट में से 40- रुपये यूनिट कॉस्ट का आवश्यकतानुसार व्यय संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण में किया जाये तथा विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारिणी समिति सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु जिले को आवंटित भौतिक लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण कार्ययोजना तैयार कर प्रति संभागी दो दिवस का 460/- रुपये व्यय किया जाये। जिला परियोजना कार्यालय इस बात का ध्यान रखे कि एसएमसी प्रशिक्षण के लिए जिले को आवंटित बजट से अधिक किसी भी स्थिति में व्यय नहीं किया जाये अन्यथा सम्बन्धित से व्यक्तिगत वसूली की जायेगी।

ब्लॉक स्तरीय संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण कार्ययोजना

जिले का नाम :

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक पर प्रशिक्षण की दिनांक	प्रशिक्षण हेतु नियुक्त केआरपी का नाम

6. PEEO/UCERO पर संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति :-

जिला परियोजना कार्यालय द्वारा एक ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय से प्रत्येक PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/UCERO (शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र) पर प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी परन्तु नियुक्त संदर्भ व्यक्ति के किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ब्लॉक कार्यालय से तत्काल आरक्षित संदर्भ व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा ताकि प्रशिक्षण में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। PEEO/UCERO पर 30 से कम संभागियों के होने पर एक संदर्भ व्यक्ति तथा 30 या 30 से अधिक संभागियों के होने पर दो संदर्भ व्यक्तियों को लगाया जाये। लेकिन एक बैच में 30 से अधिक संभागी नहीं होने चाहिये। इससे अधिक संभागी होने पर पृथक बैच बनाया जाये।

- प्रशिक्षण स्थल पर पदस्थापित PEEO/UCERO अथवा उनके द्वारा नामित Head Teacher/गतिविधि इन्चार्ज को प्रशिक्षण में दूसरे संदर्भ व्यक्ति के रूप में कार्य करने पर पृथक से मानदेय का प्रावधान नहीं है।

7- भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारण : -

- जिले के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।
- चूंकि, प्रत्येक PEEO/UCERO पर प्रशिक्षण में भाग लेने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या समान नहीं है इसलिए जिला कार्यालय द्वारा वित्तीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए PEEO/UCERO विद्यालयवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जाये।

सुभाष

8. ब्लॉक कार्यक्रम प्रभारी द्वारा PEEO/UCEEO के साथ एक बैठक आयोजित करते हुए प्रशिक्षण हेतु निम्न प्रपत्र में योजना का निर्माण करें :-

एसएमसी प्रशिक्षण कार्य योजना

जिले का नाम :-

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	PEEO / UCEEO का नाम	PEEO / UCEEO के अधीन प्रावि, उपप्रावि की एसएमसी और Composite विद्यालयों की एसएमसी की संख्या	PEEO / UCEEO का भौतिक लक्ष्य					PEEO / UCEEO के लिये वित्तीय लक्ष्य	PEEO / UCEEO पर प्रशिक्षण की दिनांक
				प्रा/उपप्रावि. प्रशिक्षण में भाग ले रहे SMC के कार्यकारिणी के सदस्य (प्रति विद्यालय 5)	चुने हुए जन प्रतिनिधि (PRI) जो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हो (प्रति विद्यालय एक)	PEEO / UCEEO पर कुल SMC संभागी	Composite School प्रशिक्षण में भाग ले रहे SMC के कार्यकारिणी के सदस्य (प्रति विद्यालय 5)	चुने हुए जन प्रतिनिधि (PRI) जो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हो (प्रति विद्यालय एक)		
			SMC						SMC सदस्यों की संख्या × रुपये 460	SMC

हस्ताक्षर

- बिन्दु संख्या 8 के अनुसार जिला स्तर से कार्ययोजना के निर्धारण के बाद चरणबद्ध तरीके से PEEO/UCEEO पर दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण **अक्टूबर-नवम्बर 2026 के मध्य आयोजित** किये जायेंगे।
- PEEO/UCEEO पर प्रशिक्षण एक साथ आयोजित न करके चरणों में आयोजित किया जाये ताकि सघन एवं सुगम मॉनिटरिंग की जा सके। **प्रशिक्षण के समस्त चरण अक्टूबर, 2026 के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिये जाये।**
- प्रत्येक जिले द्वारा PEEO/UCEEO पर आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण की कार्य योजना निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से कम से कम 10 दिवस पूर्व परिषद मुख्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जाये।
- कार्यकारिणी समिति के 5 सदस्यों एवं एक जनप्रतिनिधि को मिलाकर कुल 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है। यदि किसी विद्यालय परिक्षेत्र के जनप्रतिनिधि अन्य किसी विद्यालय के एसएमसी सदस्य के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं और उस विद्यालय के एसएमसी में अन्य कोई जनप्रतिनिधि सदस्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनके

(हस्ताक्षर)

स्थान पर कार्यकारिणी समिति के ही एक अतिरिक्त सदस्य को जोड़कर 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाये। इनमें अनिवार्य रूप से एक महिला सदस्य का चुनाव किया जाना है।

- समस्त एसएमसी प्रशिक्षणों का वित्तीय समायोजन एसएमसी के प्रशिक्षण मद में से समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से कर दिया जाये। **किसी भी स्थिति में समायोजन को लम्बित नहीं रखा जाये।**

समय-समय पर विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के कुछ सदस्यों की कार्यकारिणी समिति से सदस्यता का समाप्त होना कई कारणों से संभावित है। जैसे :- विद्यार्थी का अन्तिम कक्षा पास करके निकल जाना, विद्यार्थियों का ड्रॉप-आउट हो जाना, विद्यार्थियों का विद्यालय परिवर्तन कर लेना, अभिभावक का स्थान परिवर्तन हो जाने के कारण विद्यार्थियों का विद्यालय छोड़ देना, किसी सदस्य का लगातार अनुपस्थित रहना, स्थानांतरण या मृत्यु होने पर रिक्त स्थान, आदि। एसएमसी का पुनर्गठन दो शैक्षिक सत्रों के लिये किया जाता है, तत्पश्चात नवीन निर्वाचन होता है। इसलिए प्रशिक्षण से पूर्व यह अति आवश्यक है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की बैठक बुलाकर **रिक्त हुए पदों को** विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कर **भरा जाये** तथा **नव निर्वाचित सदस्यों को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाये।**

जिला परियोजना कार्यालय के दायित्व :

- प्रशिक्षण की टाईम लाइन चार्ट में निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण सम्पन्न करना।
- ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्ययोजना प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से 3 दिवस पूर्व एवं PEEO/UCEEO पर एसएमसी सदस्यों के प्रशिक्षण कार्ययोजना प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से 5 दिवस पूर्व परिषद को उपलब्ध कराना।
- निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु स्वीकृति, आवश्यक राशि एवं दिशा निर्देश समय रहते PEEO/UCEEO तक पहुँचाना सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों की संख्या के आधार पर ब्लॉकवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित करना।
- प्रशिक्षण हेतु PEEO/UCEEO हेतु निर्धारित लक्ष्य अनुसार राशि जारी करना तथा प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना।
- **जिला कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु राशि ब्लॉक के माध्यम से PEEO/UCEEO को SNA limit जारी की जायेगी।**
- PEEO/UCEEO केन्द्र पर प्रशिक्षण में होने वाले व्यय का निर्धारण संभागियों की संख्या 30 मानकर किया गया है। परन्तु इस संख्या में संकुल सन्दर्भ केन्द्र/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्रवार परिवर्तन संभावित है। अतः संभागियों की संख्या 30 से अधिक होने पर निर्धारित मानदण्डानुसार राशि कम होने की स्थिति में जिला कार्यालय द्वारा बचत वाले PEEO/UCEEO से राशि कमी वाले PEEO/UCEEO पर दी जा सकती है परन्तु जिले का प्रति व्यक्ति औसत व्यय निर्धारित राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

Amal

- संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण एवं एसएमसी प्रशिक्षण का अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अवलोकन सुनिश्चित करना।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्यालय से संभागियों के रजिस्ट्रेशन पत्र/उपस्थिति पंजिका, प्रशिक्षण प्रतिवेदन और ब्लॉक कार्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों की अवलोकन रिपोर्ट और संदर्भ व्यक्ति द्वारा प्रमाणित उपस्थिति, फोटो आदि की प्राप्ति के प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करें।
- भुगतान किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि आमंत्रित सदस्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधान अनुसार गठित विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से ही थे। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण में वर्ष 2025-26 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हुए सदस्यों को प्राथमिकता दी जाये।
- प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात् 10 दिवस में निर्धारित प्रपत्रों में सूचनायें, प्रतिवेदन एवं फोटो परिषद मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण का भुगतान, विद्यालयवार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एसएमसी सदस्यों की संख्या के अनुपात में ही किया जाये।

PEEO/UCEEO दो दिवसीय गैर आवासीय एसएमसी प्रशिक्षण सूचना

जिला :-

प्रपत्र-अ

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	ब्लॉक का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	एसएमसी सदस्यों के PEEO/UCEEO पर दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण					
	योग					

हस्ताक्षर

जिला :-

प्रपत्र-ब

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	ब्लॉक का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	एसएमसी सदस्यों के PEEO/UCEEO पर दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण					
	योग					

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

जिला :-

प्रपत्र-स

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	एसएमसी प्रशिक्षण हेतु PEEU/UCCEO को आवंटित भौतिक लक्ष्य	प्रशिक्षण में उपस्थित जन प्रतिनिधियों की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थित एचएम/सदस्य शिक्षक एवं पुरस्कृत शिक्षक/शिक्षा शास्त्री की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थित कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्यों की संख्या	कुल (4+5+6)	संभागियों का वर्गवार विवरण								कुल		
							सामान्य		ओबीसी		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति				योग
							पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
	योग																

हस्ताक्षर

जिला :-

प्रपत्र-द

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	एसएमसी प्रशिक्षण हेतु PEEU/UCCEO को आवंटित भौतिक लक्ष्य	प्रशिक्षण में उपस्थित जन प्रतिनिधियों की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थित एचएम/सदस्य शिक्षक एवं पुरस्कृत शिक्षक/शिक्षा शास्त्री की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थित कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्यों की संख्या	कुल (4+5+6)	संभागियों का वर्गवार विवरण								कुल		
							सामान्य		ओबीसी		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति				योग
							पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
	योग																

हस्ताक्षर

एसएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण

जिला :-

प्रपत्र - 1

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में आमंत्रित जनप्रतिनिधियों की संख्या	उपस्थित जन प्रतिनिधियों की संख्या	उपस्थित जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण						कुल
				जिला पार्षद	नगर पार्षद	पंचायत समिति सदस्य	सरपंच	वार्डपंच	अन्य जनप्रतिनिधि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

नोट :- प्रपत्र-स के कॉलम सं0 4 में दर्शाये जनप्रतिनिधियों की संख्या का प्रपत्र-1 में वर्गीकरण कराया गया है।

हस्ताक्षर

2/2/2024

एसएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण

जिला :-

प्रपत्र - 2

क.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में आमंत्रित जनप्रतिनिधियों की संख्या	उपस्थित जन प्रतिनिधियों की संख्या	उपस्थित जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण						कुल
				जिला पार्षद	नगर पार्षद	पंचायत समिति सदस्य	सरपंच	वार्डपंच	अन्य जनप्रतिनिधि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

नोट :- प्रपत्र-2 के कॉलम-4 में दर्शाये जनप्रतिनिधियों की संख्या का प्रपत्र 2 में वर्गीकरण कराया गया है।

हस्ताक्षर

एसएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का वर्गीकरण

जिला :-

प्रपत्र - 3

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल एसएमसी संभागी	साक्षर संभागियों की संख्या		निरक्षर संभागियों की संख्या		योग	
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

एसएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का वर्गीकरण

जिला :-

प्रपत्र - 4

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल एसएमसी संभागी	साक्षर संभागियों की संख्या		निरक्षर संभागियों की संख्या		योग	
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

सीबीईओ के दायित्व :

ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन से पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) निम्न तैयारियों की कार्यक्रम प्रभारी के माध्यम से समीक्षा करें :-

- संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण की सूचना संभागियों को समय पर देना, प्रशिक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण उपरान्त चयनित न्यूनतम 30 संदर्भ व्यक्तियों की सूची जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना।

हस्ताक्षर

- PEEO/UCEEO पर आयोज्य एसएमसी प्रशिक्षण की कार्ययोजना समय रहते तैयार करके जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- जिला कार्यालय के साथ समन्वय करके PEEO/UCEEO वार संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति करना।
- निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु दिशा निर्देशों की PEEO/UCEEO तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- PEEO/UCEEO को जिले से प्राप्त प्रशिक्षण बजट की लिमिट जारी करना।
- ब्लॉक कार्यक्रम प्रभारी द्वारा (संदर्भ व्यक्ति) स्वयं एवं ब्लॉक के अन्य संदर्भ व्यक्तियों एवं अधिकारियों की अवलोकन कार्य योजना तैयार करना तथा तदनुसार प्रशिक्षण का अवलोकन करना।
- प्रशिक्षण अवलोकन के दौरान उपस्थिति पंजिका में सदस्यों की उपस्थिति प्रमाणित करना।
- प्रत्येक प्रशिक्षण का अवलोकन करना, संभागियों की उपस्थिति के प्रमाणीकरण के समय सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागी विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारणी समिति के ही सदस्य हो तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2025-26 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हुए सदस्यों को प्राथमिकता दी गई है।
- संदर्भ व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त 10 दिन के अन्दर प्रशिक्षण के फोटोग्राफ्स विद्यालयवार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या, प्रशिक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में सूचना एवं फोटोग्राफ्स आवश्यक रूप से जिला कार्यालय को प्रेषित करना।
- जिला कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र (U.C.) एवं आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना।

PEEO/UCEEO प्रभारी/संस्थाप्रधान के दायित्व :-

- जिला परियोजना/सीबीईओ कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रशिक्षण की कार्य योजना तैयार करना।
- वर्ष 2025-26 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये कार्यकारिणी के सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए कार्यकारिणी सदस्यों में से 5 सदस्यों एवं एक जनप्रतिनिधि को चिन्हित कर उनकी प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अपने कार्यक्षेत्र के सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित करना।
- अधीनस्थ प्रधानाध्यापक PEEO/UCEEO से समन्वय करते हुए चिन्हित/चयनित एसएमसी सदस्यों एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण की तिथि एवं स्थान की सूचना लिखित में/उचित माध्यम से, कम से कम प्रशिक्षण से 5 दिन पूर्व देना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण में विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी श्रेणी के सदस्यों यथा-महिलाओं, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अल्पसंख्यकों, शिक्षा से वंचित विशेष वर्ग आदि को प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को समस्त संस्थाप्रधान PEEO/UCEEO पर होने वाले प्रशिक्षण में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक एसएमसी सदस्य एवं जनप्रतिनिधियों का पंजीकरण प्रपत्र संधारित करना।

संस्थाप्रधान

- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना एवं प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण के दौरान पूरे समय संभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- PEEEO/UCEEO प्रशिक्षण की दिनांक पर नामित Head Teacher/ गतिविधि इन्चार्ज की उपस्थिति अनिवार्य है एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति की भूमिका का निर्वाह करना।
- प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों का संधारण करना यथा—बिल वाउचर, कैश बुक, उपस्थिति पंजिका, प्रतिवेदन, फोटो एवं निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलन आदि।
- विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करवाना।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल को विद्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखना ताकि आवश्यकता पड़ने पर एसएमसी सदस्यों द्वारा मॉड्यूल में दी गई जानकारी का उपयोग किया जा सकें।
- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय यथा—चाय—नाश्ता, प्रशिक्षण सामग्री, संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय, संभागियों का वास्तविक किराया, प्रशिक्षण आयोजन हेतु बैठक व्यवस्था, फोटोग्राफ आदि पर मदवार निर्धारित राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं करना है।
- प्रशिक्षण समाप्ति के 3 दिवस में निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाएं, प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं आवश्यक प्रमाण—पत्र सीबीईओ कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- PEEEO/UCEEO या उनके द्वारा मनोनीत अध्यापक ही व्यवस्थापक का कार्य करेंगे।

व्यय प्रावधान :- प्रति विद्यालय (एसएमसी) के 05 कार्यकारिणी सदस्य एवं 01 जनप्रतिनिधि कुल 06 संभागियों का पीईईओ स्तरीय दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण किया जाना है।

विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों के दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रावधित राशि 500/- रुपये प्रति संभागी प्रशिक्षण की राशि में से 40 रुपये प्रति संभागी ब्लॉक स्तरीय दक्ष प्रशिक्षक प्रशिक्षण एवं शेष राशि 460/- रुपये प्रति संभागी एवं प्रति विद्यालय (एसएमसी) दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु वर्गीकरण निम्न है —

प्रति विद्यालय (एसएमसी) प्रशिक्षण हेतु कुल प्रावधित राशि = 3000/—

प्रति विद्यालय 6 संभागियों हेतु प्रावधित राशि (460X6) = 2760/—

एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण हेतु प्रति विद्यालय प्रावधित राशि (40X6) = 240/— का वर्गीकरण

क्र. सं.	विवरण	कुल दिवस	दर प्रतिदिन	इकाई प्रति विद्यालय	प्रति विद्यालय संभागियों पर व्यय
1	भोजन व्यवस्था	1	24	6	144
2	जलपान (चाय—नाश्ता)	1	5	6	30
3	संभागियों को किराये का भुगतान (वास्तविक)	1	4	6	24
4	जिला स्तरीय दक्ष प्रशिक्षकों का मानदेय	1	2	6	12

सत्यापित

5	विविध व्यय, बैठक व्यवस्था, सफाई, पानी, फर्श, दरी, फोटोग्राफी, स्टेशनरी इत्यादि ,	1	5	6	30
	योग		40		240

नोट :- ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में क्रम संख्या 04 पर जिला स्तरीय दक्ष प्रशिक्षक का अधिकतम मानदेय का भुगतान 1000 किया जा सकता है। उक्त प्रशिक्षण की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उपर्युक्त वर्गीकरण में संशोधन किया जा सकता है।

प्रति विद्यालय 06 संभागियों हेतु (एसएमसी) प्रशिक्षण प्रावधित राशि (2760) वर्गीकरण

क्र. सं.	विवरण	कुल दिवस	दर प्रतिदिन	इकाई प्रति विद्यालय (एसएमसी)	प्रति विद्यालय चयनित 6 संभागियों पर व्यय
1	भोजन एवं किराये का संभागियों को नकद भुगतान(वास्तविक)	2	140	6	1680
2	जलपान (चाय-नाश्ता)	2	40	6	480
3	दक्ष प्रशिक्षक मानदेय (प्रत्येक PEEO/UCCEO नोडल विद्यालय पर अधिकतम 2 दक्ष प्रशिक्षक)	2	20	6	240
4	विविध व्यय, बैठक व्यवस्था, सफाई, पानी, फर्श, दरी, फोटोग्राफी, स्टेशनरी इत्यादि ,	2	25	6	300
5	व्यवस्थापक/प्रशिक्षण प्रभारी को मानदेय	2	5	6	60
	योग		230		2760

- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एसएमसी सदस्यों एवं जनप्रतिनिधि को देय नकद भुगतान का बिल निम्न प्रारूप में संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य से प्रमाणित करायें।
- आयोजन हेतु किए गए व्यय का भुगतान अनिवार्य रूप से चैक अथवा बैंक खाते में किया जाये।

प्रपत्र

PEEO/UCCEO का नाम :.....

प्रशिक्षण दिनांक :.....

क्र. सं.	विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम	उपस्थित सदस्य का नाम	उपस्थित दिनों की संख्या	देय नकद राशि	एसएमसी सदस्य के हस्ताक्षर	संबंधित एसएमसी के प्रधानाध्यापक / प्राचार्य द्वारा प्रमाणीकरणकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
1						

- प्रशिक्षण अवलोकन प्रपत्र परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

सामुदायिक गतिशीलता गतिविधि टाईम लाइन चार्ट 2026-27

2 मंत्रालय

S.N	Activity	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Oct 26	Nov 26	Dec 26	Jan 27	Feb 27	Mar 27
1	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण	√								
2	एसएमसी प्रशिक्षण हेतु PEEU/UCERO वार कार्य योजना निर्माण	√								
3	संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण		√							
4	एसएमसी सदस्यों का PEEU/UCERO विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण			√	√					
5	प्रगति की समीक्षा एवं व्यय समायोजन					√				

अति महत्वपूर्ण नोट— एसएमसी सदस्यों का PEEU/UCERO स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन अक्टूबर, 2026 तक कर नवम्बर, 2026 तक शत प्रतिशत प्रबन्ध पोर्टल पर व्यय की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जाये।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. संबंधित IA द्वारा SNA खाते में से राशि अपनी संस्था के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाती है तो उक्त राशि व्यय के बाद तो शेष रह जाती है उसको उसी वित्तीय वर्ष में एसएनए खाते में जमा कराया जाना आवश्यक है एवं उक्त राशि की अनियमित पार्किंग किसी अन्य खाते में ना की जावे।
4. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

18.08.26

18/8/26
(डॉ० सरिम शर्मा)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति./SMC-दिशा-निर्देश/2026-27/

दिनांक : यथा हस्ताक्षर 18/8/2026

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :-

7338

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
9. रक्षित पत्रावली।

COMMUNITY MOBILISATION- SMC Training Elementary Schools
Proposed Physical and Financial Target of Districts 2026-27

S. No.	District	Total identified School (according Plan) SMC Training	Unit Cost per school Rs.3000 /- Govt. PS, UPS	Total identified (according Plan) SMC Training members (per school*6)	Two Day Training at Nodal Level	
					Target	
					Phy.	Fin. (in lakh)
1	AJMER	813	0.03	4878	4878	24.390
2	ALWAR	1088	0.03	6528	6528	32.640
3	BALOTARA	1322	0.03	7932	7932	39.660
4	BANSWARA	2833	0.03	16998	16998	84.990
5	BARAN	1218	0.03	7308	7308	36.540
6	BARMER	2456	0.03	14736	14736	73.680
7	BEAWAR	879	0.03	5274	5274	26.370
8	BHARATPUR	592	0.03	3552	3552	17.760
9	BHILWARA	2135	0.03	12810	12810	64.050
10	BIKANER	1468	0.03	8808	8808	44.040
11	BUNDI	954	0.03	5724	5724	28.620
12	CHITTAURGARH	1345	0.03	8070	8070	40.350
13	CHURU	805	0.03	4830	4830	24.150
14	DAUSA	1105	0.03	6630	6630	33.150
15	DEEG	518	0.03	3108	3108	15.540
16	DHAULPUR	797	0.03	4782	4782	23.910
17	DIDWANA-KUCHAMAN	894	0.03	5364	5364	26.820
18	DUNGARPUR	2298	0.03	13788	13788	68.940
19	GANGANAGAR	1391	0.03	8346	8346	41.730
20	HANUMANGARH	644	0.03	3864	3864	19.320
21	JAIPUR	2215	0.03	13290	13290	66.450
22	JAISALMER	987	0.03	5922	5922	29.610
23	JALOR	1355	0.03	8130	8130	40.650
24	JHALAWAR	1329	0.03	7974	7974	39.870
25	JHUNJHUNU	947	0.03	5682	5682	28.410
26	JODHPUR	1760	0.03	10560	10560	52.800
27	KARAUJI	1039	0.03	6234	6234	31.170
28	KHAIRTHAL-TIJARA	504	0.03	3024	3024	15.120
29	KOTA	750	0.03	4500	4500	22.500
30	KOTPUTLI-BEHROR	551	0.03	3306	3306	16.530
31	NAGAU	1164	0.03	6984	6984	34.920
32	PALI	901	0.03	5406	5406	27.030
33	PHALODI	953	0.03	5718	5718	28.590
34	PRATAPGARH (RAJ.)	1450	0.03	8700	8700	43.500
35	RAJSAMAND	1283	0.03	7698	7698	38.490
36	SALUMBAR	972	0.03	5832	5832	29.160
37	SAWAI MADHOPUR	754	0.03	4524	4524	22.620
38	SIKAR	1289	0.03	7734	7734	38.670
39	SIROHI	714	0.03	4284	4284	21.420
40	TONK	1121	0.03	6726	6726	33.630
41	UDAIPUR	2608	0.03	15648	15648	78.240
	TOTAL	50201		301206	301206	1506.030

COMMUNITY MOBILISATION – Secondary Schools
Proposed Physical and Financial Target of Districts 2026-27

S. No.	District	Total identified School(according Plan) Training	Unit Cost per school Rs.3000 /- Govt. Sec./Sr. Sec.	Total identified (according Plan) Training members (per School*6)	Two Day Training at Nodal Level	
					Target	
					Phy.	Fin. (in lakh)
1	AJMER	515	0.03	3090	3090	15.450
2	ALWAR	560	0.03	3360	3360	16.800
3	BALOTARA	455	0.03	2730	2730	13.650
4	BANSWARA	547	0.03	3282	3282	16.410
5	BARAN	348	0.03	2088	2088	10.440
6	BARMER	698	0.03	4188	4188	20.940
7	BEAWAR	314	0.03	1884	1884	9.420
8	BHARATPUR	390	0.03	2340	2340	11.700
9	BHILWARA	651	0.03	3906	3906	19.530
10	BIKANER	685	0.03	4110	4110	20.550
11	BUNDI	300	0.03	1800	1800	9.000
12	CHITTAURGARH	467	0.03	2802	2802	14.010
13	CHURU	652	0.03	3912	3912	19.560
14	DAUSA	471	0.03	2826	2826	14.130
15	DEEG	288	0.03	1728	1728	8.640
16	DHAULPUR	342	0.03	2052	2052	10.260
17	DIDWANA-KUCHAMAN	508	0.03	3048	3048	15.240
18	DUNGARPUR	487	0.03	2922	2922	14.610
19	GANGANAGAR	545	0.03	3270	3270	16.350
20	HANUMANGARH	469	0.03	2814	2814	14.070
21	JAIPUR	1069	0.03	6414	6414	32.070
22	JAISALMER	301	0.03	1806	1806	9.030
23	JALOR	521	0.03	3126	3126	15.630
24	JHALAWAR	346	0.03	2076	2076	10.380
25	JHUNJHUNU	585	0.03	3510	3510	17.550
26	JODHPUR	731	0.03	4386	4386	21.930
27	KARAULI	406	0.03	2436	2436	12.180
28	KHAIRTHAL-TIJARA	274	0.03	1644	1644	8.220
29	KOTA	332	0.03	1992	1992	9.960
30	KOTPUTLI-BEHROR	326	0.03	1956	1956	9.780
31	NAGAUER	490	0.03	2940	2940	14.700
32	PALI	453	0.03	2718	2718	13.590
33	PHALODI	278	0.03	1668	1668	8.340
34	PRATAPGARH (RAJ.)	288	0.03	1728	1728	8.640
35	RAJSAMAND	413	0.03	2478	2478	12.390
36	SALUMBAR	202	0.03	1212	1212	6.060
37	SAWAI MADHOPUR	356	0.03	2136	2136	10.680
38	SIKAR	734	0.03	4404	4404	22.020
39	SIROHI	291	0.03	1746	1746	8.730
40	TONK	384	0.03	2304	2304	11.520
41	UDAIPUR	714	0.03	4284	4284	21.420
TOTAL		19186		115116	115116	575.580

एसएमसी सदस्य प्रशिक्षण अवलोकन प्रपत्र 2026-27

1. अवलोकनकर्ता का नाम :- पद
2. पदस्थापन स्थान :- मो.न.
3. अवलोकन की तिथि एवं समय
4. प्रशिक्षण आयोजक PEEO/UCEEO विद्यालय का नाम :-
.....
5. PEEO/UCEEO संस्था प्रधान का नाम
मो. न.
6. PEEO/UCEEO के अधीन विद्यालयों की संख्या :-
7. प्रशिक्षण स्थल :- ब्लॉक :- जिला.....
8. प्रशिक्षण दिनांक :-
9. प्रशिक्षण देने वाले संदर्भ व्यक्ति :-
(अ) नाम :- पद :- पदस्थापन स्थान :- मो.न.
(ब) नाम :- पद :- पदस्थापन स्थान :- मो.न.
10. कुल पंजीकृत संभागी :- पुरुष महिला योग
11. प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित संभागीगण :-
(अ) जनप्रतिनिधि (PRI) :- पुरुष महिला योग
(ब) अभिभावक सदस्य :- पुरुष महिला योग
(स) मनोनीत सदस्य :- पुरुष महिला योग
(द) संस्था प्रधान (सचिव) पुरुष महिला योग
(य) शिक्षक सदस्य :- पुरुष महिला योग
योग :- पुरुष महिला योग
12. संभागियों की बैठक व्यवस्था :-
13. मॉड्यूल की उपलब्धता :-
14. अवलोकन के समय मॉड्यूल के किस विषय पर चर्चा हो रही थी :-
15. संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण देने का स्तर :-
16. प्रशिक्षण के सम्बन्ध में संभागियों के विचार :-
.....
17. प्रशिक्षण व्यवस्था सुधारने में तत्काल दिये गये निर्देश :-
.....
18. प्रशिक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में अवलोकनकर्ता की टिप्पणी/सुझाव :-
.....

प्रशिक्षण आयोजक PEEO/UCEEO प्रभारी के
हस्ताक्षर (मय सील)

हस्ताक्षर अवलोकनकर्ता
दिनांक :-